	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 11, मंगलवार, *शाके* 1947- अप्रेल 01, 2025 *Chaitra 11, Tuesday, Saka 1947- April 01, 2025*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 28, 2025

संख्या प.2(17)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के क्रम में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने; और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के विक्रय के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 को अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2025 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 4, 5 और 6 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 33 में, स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन उक्त अनुच्छेद के खण्ड (vii) के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर छह प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 44 में, स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन खण्ड (ङ) के विद्यमान उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(i) निष्पादी के पिता, माता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री की पुत्री;";

(iii) अनुच्छेद 50 में स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का और/या, यथास्थि ति, बंधक सम्पत्ति के बाजार मूल्य का आधा (0.5) प्रतिशत।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

4. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) विद्युत क्षेत्र में निष्पादन मानदंडो के आधार पर और/या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल राज्य देशी उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने को अनुज्ञात किये जाने के कारण:"।

अध्याय 4

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

5. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में पदस्थापित परिवहन विभाग के मोटर यान सब-इंस्पेक्टर और मोटर यान इंस्पेक्टर और राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का कोई अधिकारी जो उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान अभिव्यक्ति "और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में पदस्थापित परिवहन विभाग के मोटर यान सब-इंस्पेक्टर और मोटर यान इंस्पेक्टर और राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का कोई अधिकारी जो उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18.	पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
19.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी "रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान" में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एविएशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
20.	विनिर्माताओं और संकर्म ठेकेदारों और खनन में लगे हुओं को, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, को हाई स्पीड डीजल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
21.	मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.	
22.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ अनुज्ञप्तियां नहीं रखने वाले व्यवहारियों/व्यक्तियों को विक्रय की गयी विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	
23.	राज्य में नागर विमानन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन और एयरक्राफ्ट टाईप ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	

"।

59. स्वतंत्र अधिनियम संख्यांक और खण्डों के धाराओं के पुनर्संख्याकन की उद्घोषणा.- (1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 के अधिनियमित होने पर, एक स्वतंत्र अधिनियम समझा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा, विधायी प्रक्रिया के अनुसार, पृथक् अधिनियम संख्यांक समनुदेशित किया जायेगा। इस वित्त अधिनियम का निरसन और संशोधन, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 के एक पृथक् विधि के रूप में जारी प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेंगे।

(2) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 के पृथक् अधिनियम के रूप में प्रकाशन के समय, विधेयक के खण्ड 8 से 58 क्रमश: धारा 1 से 51 के रूप में पुनर्संख्यांकित किये जायेंगे। इन खण्डों के भीतर आयी धारा या उप-धारा, खण्डों या उप-खण्डों के समस्त संदर्भों को तदनुसार, पढ़ा और अर्थान्वयन किया जायेगा।

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।